न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस.
राजस्व द्वितीय अपील संख्या 12/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
श्रीमती गंगा कंवर पत्नी किशन सिंह राजपूत निवासी– ग्राम सांवता, तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर।		1. दरियाकंवर पुत्री सोहनसिंह पत्नी पप्पूसिंह राजपूत निवासी सोढाकौर तहसील जैसलमेर। 2. प्रेमकंवर पुत्री सोहनसिंह पत्नी जुगतसिंह राजपूत निवासी– ग्राम खिंयासरिया तहसील लोहावट 3. रामपसिंह पुत्र सोहनसिंह निवासी– ग्राम सवालिया तहसील शेरगढ 4. तहसीलदार फतेहगढ जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 23.02.2021 जो न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 15/2020 अनवान दरियाकंवर वगैराह बनाम रामसिंह वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थिती:–

1. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 28 जनवरी, 2022

1. अपीलार्थीया ने यह द्वितीय राजस्व अपील न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा प्रथम राजस्व अपील संख्या 15/2020 अनवान दरियाकंवर वगैराह बनाम रामसिंह वगैराह में पारित किये आदेश दिनांक 23.02.2021 के विरूद्व दिनांक 15.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दर्ज की जाकर अपीलान्ट अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस सुनी।

2. दौरान सुनवाई अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रथम अपील यह कथन करते हुए प्रस्तुत की कि ग्राम छोडीया के ख0सं0 55, 70, 71, 72 में 354 बीघा 12 बिस्वा व खसरा संख्या 53 व 54 में 172 बीघा 2 बिस्वा भूमि कुल 526 बीघा 14 बिस्वा भूमि के सहखातेदार भैरूसिंह पुत्र गणपतसिंह,सोहनसिंह,कानसिंह,गायडसिंह पुत्रान आईदानसिंह

28/1/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

थे। सहखातेदार कानसिंह लाऔलाद फौत हुए। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पिता सोनसिंह का देहान्त दिनांक 2.6.1993 को हो गया, जिनके देहान्त उपरान्त विरासत का नाम संख्या 247 व 246 दिनांक 5.8.2008 को रेस्पो0 संख्या 3 रामसिंह के नाम स्वीकृत किया गया है। उक्त नामा. स्वीकृत करते समय स्व. सोहनसिंह के विधिक उत्तराधिकारियों की कोई जॉच नहीं की तथा न ही उन्हें नोटिस जवाब, सुनवाई, साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर दिया। मात्र रेस्पो0 संख्या तीन रामसिंह को वारिसान मान नामा0 स्वीकृत कर दिया गया।

3. उक्त स्वीकृत किये गये नामा0 संख्या 247 व 246 पर पारित किये गये आदेश से व्यथित होकर वर्तमान रेस्पो0 संख्या एक व दो के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण तहसीलदार फतेहगढ को प्रतिप्रेषित करते हुए नामा0 संख्या 247 व 246 को निरस्त कर मृतक खातेदार सोहनसिंह के वारिसान के हक में नियमानुसार नामा0 दर्ज व स्वीकार करने की कार्यवाही करें।

4. अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया केवल रेस्पो0 संख्या 3 को पक्षकार बनाते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर लिया। जबकि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के द्वारा वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज खातेदारों को पक्षकार ही नहीं बनाया। क्योंकि अपीलार्थीया के द्वारा रेस्पो0 संख्या 3 से दिनांक 15.06.2009 को जरिये पंजीबद्ध बेचान नामा ख0सं0 53 में उनके हिस्से का सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा कय किया था उस बेचाननामें के आधार पर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर लिया गया। ऐसे में रेस्पो0 संख्या एक व दो की प्रथम अपील नियमानुसार बिना पक्षकार बनाये पेश की गई थी जो मेन्टेनेबल नहीं थी। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीया को अपना पक्ष रखने का एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला जो उनके प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों का हनन है एवं अपीलाधीन आदेश के कम में स्वीकृत नामा0 संख्या 246 व 247 निरस्त कर रेस्पो0 संख्या एक व दो के नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जाती है तो उससे अपीलार्थीया के पंजीकृत बेचानशुदा भूमि पर उसके हक–अधिकार समाप्त कर दिये जायेगे जिससे अपीलार्थीया को अपूर्णनीय हानि होगी।

28/11/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

5. अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन नाम0 संख्या 246 व 246 को दोनों को एक ही आदेश के द्वारा निरस्त कर दिया गया है जो कानूनन निरस्त नहीं किये जा सकते थे। रेस्पो0 को चाहिये था कि वे अलग–अलग अपील प्रस्तुत करती। इस सम्बन्ध में निर्णय नजीर 2013 (1) आरआरटी 659 दिनांक 03.10.2012 का अवलोकन कराया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मूल नामा0 तलब किये ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो भू राजस्व (रेकर्ड) रूल्स के विपरित है। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर थी जिसे अन्तिम निर्णय से पूर्व तय किया जाना आवश्यक था, अधिनस्थ न्यायालय ने बिना कोई कारण ही अपील के साथ म्याद प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

6. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में वर्णित भूमि पैतृक भूमि है अथवा नहीं, रेस्पो0 संख्या 1 व 2 स्व0 सोहनसिंह की पुत्रिया है अथवा नहीं, इत्यादि साक्ष्य सबूत पत्रावली पर नहीं लिये गये जिससे भी अपीलाधीन आदेश विधि अनुकूल नहीं माना जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर गौर करते हुए अपीलार्थीया की अपील को स्वीकार किया जावे तथा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की प्रथम अपील में पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

7. हमने अपीलार्थीया के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों का एवं अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2021 के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की अपील स्वीकार कर नामा0 संख्या 246 व 247 दिनांक 5.8.2008 को अपास्त कर तहसीलदार फतेहगढ को निर्देशित किया है कि वे स्व0 सोहनसिंह के वारिसान के हक में नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकार करने की कार्यवाही करें। अपीलार्थीया के अधिवक्ता ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि अधिनस्थ न्ययालय द्वारा के समक्ष प्रस्तुत हुई प्रथम अपील में रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने उन्हें न तो पक्षकार संस्थित किया गया और न ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादग्रस्त खसरान भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वर्तमान में दर्ज केताओं/खातेदारों को अपना पक्ष रखने

28/11/2022
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान दिया है। जबकि उनके द्वारा रेस्पो0 संख्या तीन रामसिंह पुत्र सोहनसिंह से उक्त वादग्रस्त खसरा संख्या 53 में उनके सम्पूर्ण 1/2 हिस्से को जरिये पंजीकृत बेचान दस्तावेज के आधार पर दिनांक 15.06.2009 को खरीद की है एवं जमाबन्दी में वह खातेदार के रूप में दर्ज हो रखी है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय को वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन कर वस्तुस्थिति अनुसार अपीलार्थीया को पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये।

8. ऐसे में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उल्लेखित आब्जर्वेशनों के परिप्रेक्ष्य में हमारी विनम्र राय में अपीलार्थीया की अपील आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थीया की आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर जैसलमेर द्वारा प्रथम राजस्व अपील में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.02.2021 को इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि "नामा0 संख्या 246 व 247 दिनांक 5.8.2008 को अपास्त कर तहसीलदार फतेहगढ को यह निर्देशित किया जाता है कि वे स्व0 सोहनसिंह के वारिसानों के हक में नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज व स्वीकार करने की कार्यवाही में अपीलार्थीया गंगाकंवर को पक्ष रखने/सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात प्रकरण का विधि परीक्षण कर यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक28 जनवरी,2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/1/2022

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर